# बिहार सरकार
## भवन निर्माण विभाग

आदेश सं०-भवन/अभि0प्र0-(नि0)-02-विविध-10/14..........88........./पटना दिनांक-21.4.16

### कार्यालय आदेश

संवेदक श्री अमल किशोर द्विवेदी, पिता श्री धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी, ग्रा0+पो0-पटेढ़ा थाना-महराजगंज, जिला-सिवान, बिहार द्वारा सिवान जिलान्तर्गत भगवानपुर प्रखण्ड में 500 मी० टन क्षमता वाले अनाज गोदाम को ससमय पूरा नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल सिवान के पत्रांक-717 दिनांक-12.06.14 एवं मुख्य अभियंता (उत्तर) द्वारा अपने पत्रांक-1153 दिनांक-02.07.14 द्वारा कालीकृत किये जाने की अनुशंसा प्रेषित किये जाने के आलोक में संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। अनुपालन में संवेदक द्वारा दिनांक-15.09.14 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री द्विवेदी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि सिवान जिलान्तर्गत 500 मी0 टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण कार्य का निविदित दर से 15 प्रतिशत कम दर पर एकरारनामा मेरे साथ हुआ है एवं उक्त निर्माण कार्य मेरे द्वारा कराया जा रहा है, इस बीच मेरे परिवार के सदस्यों के साथ दुःखद घटना घटते रहने एवं विभागीय आर्थिक कमी के चलते निर्माण कार्य में विलंब हो गया है एवं मेरे द्वारा पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। इस संबंध में विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल सिवान से मन्तव्य गठित करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल सिवान ने अपने पत्रांक-1340 दिनांक-04.08.15 द्वारा कार्य प्रगति शून्य अंकित करते हुये संवेदक को कालीकृत करने की अनुशंसा प्रेषित किया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल सिवान ने अपने पत्रांक 245 दिनांक 10.02.16 द्वारा संवेदक को दूरभाष के माध्यम से बुलाने पर वार्ता करने नहीं आने एवं कार्य कराने से कतराने एवं कार्य प्रगति शून्य रहने के आलोक में कालीकृत किए जाने पर पुनः सहमति व्यक्त किया गया एवं इसी आशय का प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल छपरा ने भी अपने पत्रांक 180 दिनांक 20.02.16 द्वारा भी संवेदक को कालीकृत करने हेतु अनुशंसा प्रेषित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल सिवान एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल छपरा के अद्यतन प्रतिवेदन के आलोक में संवेदक श्री अमल किशोर द्विवेदी निबंधन संख्या तृतीय (व्यक्तिगत)713(भवन)/2011 को निर्माण कार्य से कालीकरण सूची में डालने के निमित गठित समिति की दिनांक 25.02.16 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क)(ii) में अंकित प्रावधान के अनुरूप तत्काल प्रभाव से कालीकृत किया जाता है।

11/4/16

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 3646 (अ) पटना दिनांक- 21/4/16

प्रतिलिपिः- श्री अमल किशोर द्विवेदी, पिता श्री धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी, ग्रा0+पो0-पटेढ़ा थाना-महराजगंज जिला-सिवान, बिहार बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

11/4/16

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 3646 (अ) पटना दिनांक- 21/4/16

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंताभवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

11/4/16

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 3646 (अ) पटना दिनांक- 21/4/16

प्रतिलिपिः-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। आप अपने स्तर से उक्त संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

11/4/16

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 3646 (अ) पटना दिनांक- 21/4/16

प्रतिलिपिः-आई. टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/4/16

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव